रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 1991/फाल्गुन 13, 1912

No. 136] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 1991/PHALGUNA 13, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1991

का. आ. 153(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

यतः मैं, आर. वेंकटरामन, भारत का राष्ट्रपति, ने 12 जनवरी, 1991 को संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के कतिपय उपबंधों का प्रवर्तन पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से छह माह की अवधि के लिए निलम्बित करने का आदेश किया था, और उस संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा को निलंबित करते समय मैंने कतिपय ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध किए थे जो मुझे उपर्युक्त कालावधि में उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक और समीचीन लगे थे ;

और यतः मुझे संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के प्रशासक से एक और रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मेरा यह समाधान हो गया है कि उक्त संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः, अब अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की विधान सभा तत्काल प्रभाव से भंग करता हूं और यह निदेश देता हूं कि उक्त आदेश के प्रावधान, निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) उक्त आदेश के खंड (क) में "धारा 6 की उपधारा (i)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों से आरम्भ होने वाले और "धारा 33 और धारा 36" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"धारा 6 की उपधारा (1), तथा उपधारा (2), का खंड (क), धारा 7, उप धाराएं (1), (3) तथा (4), उप धारा (2) का खंड (ख) तथा (ग) और उस उप-धारा का प्रथम परन्तुक, और उप-धारा (5) का उतना भाग, जितने का संबंध उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से है,

धारा 8 से 12 (दोनों सम्मिलित हैं), धारा 15 से 17 (दोनों सम्मिलित हैं),

धारा 23 ;

धारा 27 की उप-धारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है और उक्त धारा की उप-धारा (3) के खंड (ग) का उतना भाग जितने का संबंध उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों से है ;

धारा 30 की उप-धारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है,

धारा 33, धारा 34 की उप-धारा (2) और धारा 36;";

(ii) खण्ड (ख) में—

(1) उप-खंड (i) तथा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) उक्त संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा एतद्द्वारा भंग की जाती

(2) उप-खंड (iii) की उसके उप-खंड (ii) के रूप में गणना की जाएगी।

ह./-
(आर. वेंकटरामन)
भारत का राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
4 मार्च, 1991

[सं. यू-11012/3/90- यू. टी. एल.
एस. दत्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 1991

S.O. 153(E).—The following order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas I, R. Venkataraman, President of India had on the 12th January, 1991 made an Order, suspending for a period of six months the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Pondicherry, and while suspending the Legislative Assembly of that Union territory I made certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering that Union territory in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period ;

AND WHEREAS, I have received a further report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby dissolve the Legislative Assembly of the Union territory of Pondicherry with immediate effect and direct that the provisions of the said order shall have effect subject to the following modifications, namely :—

(i) in clause (a), for the portion beginning with the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 6", and ending with the words and figures "section 33 and section 36;", the following shall be substituted, namely :—

"sub-section (1), and clause (a) of sub-section (2), of section 6 ;

in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive) ;

section 22 ;

so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the said section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker ;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President ;

section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36 ;" ;

(ii) in clause (b),—

(1) for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(i) the Legislative Assembly of the said Union territory is hereby dissolved ;" ;

(2) sub-clause (iii) shall be renumbered as sub-clause (ii) thereof.

Sd/-
(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT OF INDIA.

NEW DELHI;
the 4th March, 1991.

[N. U-11012/3/90-UTL]
S. DUTTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991